फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व वाद जीसीएमएस नंबर 2024/193 बअनवान महिपालचंद वगैरा बनाम सरकार वगैरा

वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

सपठित धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
01 07/025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण श्री दिनेश चन्द्र माथुर उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 02 से 07 के अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 पेरोकार सरकार उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान वकील वादी ने वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये ग्राम खीमेल के गत खसरा नंबर 402, 403, 404, 422, 423, 425, 426, 427 कुल रकबा 120 बीघा 1 बिस्वा से बने हाल खसरा नंबर 1033,. 1041, 962, 973, 974, 975, 1038, 1039, 1040, 1036, 1037 कुल खसरा 11 कुल रकबा 17.33 हैक्टर किस्म जाव दोयम, बंजड, गै.मु.बेरा व गै.मु.सडा के राजस्व अभिलेखों में 1/2 हिस्सा में दर्ज खातेदार दौला व धूलसिंह का नाम विलोपित कर वादीगण को संपूर्ण भूमि का खातेदार घोषित करते हुये प्रतिवादीगण के विरूद्ध सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किये जाने की दलील दी। वकील वादीगण द्वारा तर्क दिया गया कि वादग्रस्त भूमि जागीर समय से वादीगण के पिता शिवचंद मेहता के जागीर की भूमि रही है। जिस भूमि पर वादीगण के पिता के देहांत के पश्चात वादीगण बतौर फुटस्टेप काबिज होकर आदिनांक तक काश्त कर रहे हैं। परंतु भू–प्रबंध विभाग की त्रुटि की वजह से 1/2 हिस्से में दौलाराम व धूलसिंह के नाम के इन्द्राज चले आ रहे है। जबकि दौलाराम व धूलसिंह के द्वारा संवत 2009 में वादीगण के पक्ष में लिखत लिख कर वादग्रस्त भूमि के मुआवजा राशि के तौर पर 60 रूपये रोकड प्राप्त कर भूमि वादीगण को बेचान करने का भी उल्लेख है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया वादीगण का वाद मजबूत व सबल प्रकरण होने से वादीगण के वाद को डिक्री किये जाने की दलील दी। वादीपक्ष द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेज पेश किये:– 1. लिखत बेचान व हकतर्कनामा 2. लिखत वैशाख वदी 9 संवत 2009 का हिन्दी रूपांतरण 3. खसरा बंदोबस्त ग्राम खीमेल 4. गिरदावरी संवत 2005 5. फर्द बेरावार गांव खीमेल 6. पट्टा लगान गांव खीमेल 7. चौसाला संवत 2006 से 2007 तक इन अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ साथ बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह पीडब्ल्यू 1 महिपालचंद पुत्र शिवचंद मेहता के बयान कलमबद्ध कराये गये। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02 से 07 श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा बहस में वकील वादी की दलीलों का खंडन करते हुये दलील दी गई कि खीमेल के पुराने खसरा नंबर की कृषि भूमि पर शिवचंद मेहता का कोई काश्त नहीं रहा हैं एवं न ही खसरा नंबर 425 में स्वंय के खर्चे से कुआं खुदवाया था। शिवचंद मेहता की मृत्यु कब हुई, वादीगण का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कब हुआ, का विवरण वादपत्र में नहीं होने से वाद काबिल खारिज है। वादीगण ने उक्त वाद शिवचंद मेहता के केवल पुरुष वारिसान को ही पक्षकार बनाते हुये वाद पेश किया है जिस कारण पक्षकारों के कुसंयोजन से वादी का वाद खारिज योग्य है। स्वर्गीय शिवचदं मेहता का अंतिम समय संवत 2004 व 2005 बताया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 15.10.55 को लागू हुआ। और उस समय जो व्यक्ति जिस जमीन पर काबिज था। उसे धारा 15 व धारा 19 टीनेंसी एक्ट के तहत खातेदारी हक प्राप्त हुये है। इसी आधार पर दौलाराम पुत्र दीपाजी जणवा चौधरी निवासी दांतीवाडा व धुला पुत्र जेतसिंह को	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी पाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, पाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये है। संवत 2009 में सैटलमेंट ऑफिसर के समक्ष वादी ने क्या उजर आपत्ति पेश की, उसकी कोई प्रति पेश नहीं की है। संवत 2009 में शिवचंद मेहता की मृत्यु हो चुकी थी उस समय दौलाराम व धूलसिंह संयुक्त खातेदार के तौर पर काबिज थे और वादग्रस्त भूमि पर काश्त करते थे। वर्ष 2009 के बाद वर्ष 2012 में टीनेंसी एक्ट लागू हुआ उस समय मौके पर दौलाराम व धूलसिंह वादग्रस्त भूमि के आधे हिस्से पर कब्जा एवं काश्त का, जो उनकी मृत्यु तक बदस्तुर रहा। तथा मृत्यु के बाद उनके वारिसान का कब्जा. काश्त रहा। वर्ष 1995 व 1997 में प्रतिवादी संख्या 05 लगाये 07 व स्वर्गीय नेकाराम द्वारा वादग्रस्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से खरीद करने से वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 05 लगाये 07 काबिज काश्त है। वकील प्रतिवादी द्वारा यह उजर लिया कि प्रथम सैटलमेंट संवत 2009 में दौला व धूलसिंह का नाम गलत दर्ज हुआ उसके बाद संवत 2037 में दुबारा सैटलमेंट हुआ। उस दौरान भी वादीगण की ओर से कोई उजर/आपत्ति पेश नहीं की गई और संवत 2067 में वाद पेश किया जो वाद मयाद बाहर होने से तथा इन्द्राज दुरस्ती की श्रेणी में नही आने से खारिज योग्य है। वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से के सहखातेदार दौलाराम के वारिसों द्वारा दिनांक 29.06.95 को वादग्रस्त भूमि का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 05 से 07 व उनके स्वर्गीय भाई नेकाराम जिनके वारिस प्रतिवादी संख्या 02 से 04 है, को बेचान करने तथा 1/4 हिस्सा के सहखातेदार धूलसिंह की मृत्यु के बाद उनके वारिस श्रीमती जसकंवर के द्वारा उसका 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 04 लगाये 07 को दिनांक 12.02.97 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के बेचान किया है तथा बेचान के आधार पर नामांतरकरण प्रतिवादी संख्या 05 लगाये 07 व स्वर्गीय नेकाराम खातेदार दर्ज हुये। बाद में नेकाराम की मृत्यु होने पर उत्तराधिकारी के तौर पर प्रतिवादी संख्या 02 लगाये 04 का नाम दर्ज होने से वादग्रस्त भूमि के 1/4, 1/4 हिस्सा कुल 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 02 लगाये 07 मौके पर काबिज काश्त है। जिससे वादीगण का वाद बिना कब्जे के, वाद हेतुक के अभाव व मयाद बाहर होने से खारिज किये जाने की दलील दी गई। वकील प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब व दलीलों के समर्थन में फोटो प्रति रजिस्ट्री दिनांक 12.02.97, फोटोप्रति रजिस्ट्री दिनांक 29.06.95 फोटोप्रति बिगोडी रसीदाद पेश किये गये तथा इन अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह डीडब्ल्यु 1 भीमाराम पुत्र नेकाराम, डीडब्ल्यु 2 जवानाराम पुत्र नवलामजी, गवाह डीडब्ल्यु 3 मांगीलाल पुत्र ओटाराम, गवाह डीडब्ल्यु 4 मालाराम पुत्र वनाराम के बयान कलमबद्ध कराये गये।

पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड के अध्ययन व उभयपक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात प्रकरण में कायम वाद बिन्दुओं को निम्नानुसार निर्णीत किया जाता है:—

1. आया वादग्रस्त भूमि खीमेल के गत खसरा नंबर 402, 403, 404, 422, 423, 425, 426, 427 कुल रकबा 120 बीघा 1 बिस्वा भूमि वादीगण के पूर्वज व पिता स्वर्गीय शिवचंद के जागीर की भूमि होने तथा वादीगण का अपने पिता के समय से कब्जा काश्त होने से वादीगण गत खसरा नंबर से बने हाल खसरा नंबर 1033, 1041, 962, 973, 974, 975, 1038, 1039, 1040, 1036, 1037 कुल खसरा 11 कुल रकबा 17.33 हैक्टर की खातेदारी घोषणा के साथ प्रतिवादीगण के विरूद्ध सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री पाने के अधिकारी है?.....वादीगण

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व वादीगण का था। वादीगण ने अपने वादपत्र में वादग्रस्त भूमि खीमेल के गत खसरा नंबर 402, 403, 404, 422, 423, 425, 426, 427 कुल रकबा 120 बीघा 1 बिस्वा भूमि वादीगण के पूर्वज व पिता स्वर्गीय शिवचंदजी के जागीर की

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	भूमि होने तथा अपने पिता के समय से काश्त व कब्जा होना वर्णित करते हुये घोषणा खातेदारी चाही है। परंतु इसके समर्थन में वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य पट्टा ठिकाना प्रदर्श ईएक्स 4ए में वर्णित इन्द्राज के अनुसार खीमेल के गत खसरा नंबर 402, 403, 404, 422, 423, 425, 426, 427 में कॉलम संख्या 08 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार 1/2 हिस्सा कब्जा ठिकाना व 1/2 हिस्सा में शिवचंद मूथा का नाम दर्ज होना ज्ञात है। खसरा बंदोबस्त संवत 2009 में दर्ज इन्द्राज के अंनुसार वादग्रस्त भूमि में शिवचंद हिस्सा 1/2 खुदकाश्त व 1/4 हिस्सा धूलसिंह वल्द अनेसिंह राजपूत 1/4 हिस्सा, दीपा वल्द दला कौम जणवा साकिन दांतीवाडा दर्ज है। जागीर सैटलमेंट ऑफिसर जोधपुर द्वारा जारी पट्टा ठिकाना चाणौद में दर्ज इन्द्राज के अनुसार खीमेल के गत खसरा नंबर 402, 403, 404, 422, 423, 425, 426, 427 कुल खसरा 08 कुल रकबा 120 बीघा 7 बिस्वा भूमि में शिवचंद 1/2 दीपा वल्द दला सीरवी साकिन दांतीवाडा 1/4 धूलसिंह वल्द जेतसिंह राजपूत सा. देह 1/4 दर्ज होना भी ज्ञात है। इस प्रकार संवत 2009 प्रथम सैटलमेंट के समय एवं ठिकाना के समय से भी वादग्रस्त भूमि के अधिकार अभिलेखों में वादी के पिता 1/2 हिस्सा के ही खातेदार दर्ज रहे है। प्रस्तुत खसरा गिरदावरी की प्रतियों में इसी अनुसार इन्द्राज किये जाने ज्ञात है। एवं वर्तमान अधिकार अभिलेखों में खीमेल के हाल खसरा नंबर 1033, 1041, 962, 973, 974, 975, 1038, 1039, 1040, 1036, 1037 कुल खसरा 11 कुल रकबा 17.33 हैक्टर में वादी का 1/2 हिस्सा एवं शेष 1/2 हिस्सा में दीपा वल्द दला 1/4 कौम सीरवी जसुकंवर बेवा धूलसिंह 1/4 हिस्सा के खरीददार वर्तमान में सहखातेदार दर्ज होना भी ज्ञात है। इस प्रकार वादी के वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि न तो प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों एंव न ही वादी पक्ष की ओर से कराये गये मौखिक साक्ष्य गवाह पीडब्ल्यू 1 के बयानों से होती है। इसके विपरीत प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा एवं जवाबदावा के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज विक्रय विलेख दिनांक 12.02.97 प्रदर्श ईएक्स 9ए, विक्रय विलेख दिनांक 29.06.95 प्रदर्श ईएक्स 10ए, बिगोडी रसीदात की प्रतियां प्रदर्श ईएक्स 11ए लगाये ईएक्स 20ए में दर्ज इन्द्राज एवं प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य गवाह डीडब्ल्यू 1 भीमाराम पुत्र नेकाराम जाति जणवा चौधरी निवासी फालनागांव, गवाह डीडब्ल्यू 2 जवानाराम पुत्र नेकाराम जाति जणवा चौधरी निवासी फालनागांव, गवाह डीडब्ल्यू 3 मांगीलाल पुत्र ओटाराम जाति जणवा चौधरी निवासी फालनागांव, गवाह डीडब्ल्यू 4 मालाराम पुत्र वनाराम जाति जणवा चौधरी निवासी फालनागांव द्वारा दिये बयानों से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार वादीगण है तथा 1/2 हिस्से के खातेदार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान लागू होने के समय से दीपा वल्द दला जणवा दांतीवाडा व धूलसिंह पुत्र जेतसिंह राजपूत निवासी खीमेल रहे है। तथा विक्रय विलेख दिनांक 12.02.97 व 29.06.95 निष्पादन के पश्चात खरीददार राजस्व रेकर्ड में सहखातेदार दर्ज होकर काबिज काश्त है, वादीगण का वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा के अतिरिक्त कोई हक अधिकार नहीं बनता है। वादी पक्ष द्वारा चंस्तुत महाजनी लिखत व उसके हिन्दी रूपान्तरण की प्रस्तुत प्रति भी वादी के वादपत्र को साबित करने में असफल रही हैं क्योकि उक्त लिखत के जरिये खातेदारी हक का मुआवजा बतौर आपके दोनो जने रू 60 रोकड लेकर आपके हक में अपने खातेदारी अधिकार बेचान करते हैं । चुकि उक्त लिखत न तो प्रयाप्त मुद्रांक पर हैं एवं नहीं जिनके पक्ष अर्थात शान्तिचन्द सुरजचन्द जशवन्तचन्द हरमतचन्द उम्मेदचनद महिपालचन्द पिता शीवचन्द जी जाति मेहता जैन निवासी खिमेल के हस्ताक्षर व अगुंठा निशान हैं, ऐसा दस्तावेज जो विधिक दृष्टि सें साक्ष्य में ग्राहय नहीं हैं, ऐसे दस्तावेज को आधार	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

3

सहायक कलेक्टर एवं प्रथम श्रेणी न्यायिक अधिकारी बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

मान कर वादी के कथनो पर वाद को स्वीकार करना विधिक प्रावधानों के अनुसार उचित नहीं हैं। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि होकर वादी का वाद कपोल कल्पित तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया जाना प्रथम दृष्टया ज्ञात है। चूंकि जब प्रकरण में वाद हेतुक ही उत्पन्न नहीं है, इसके साथ ही प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से वादीगण का वाद साबित नहीं होने से तनकी संख्या 1 वादीगण के विरूद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती हैं ।

2. आया वादग्रस्त भूमि संवत् 2004, 2005 में स्व0 शिवचन्दजी मेहता ने अपनी अस्वस्थता के कारण काश्तकार दौलाराम पुत्र दीपा जाति जणवा नि. दांतीवाडा व धुलसिंह पुत्र जेतसिंह जाति राजपुत निवासी खीमेल को काश्त पर दी थी, जिनके द्वारा काश्त करने से संवत् 2009 में सैटलमेंट के समय सैटलमेंट ऑफिसर के द्वारा इन काश्तकारो का नाम वादी द्वारा उजर आपत्ति पेश करने के बावजुद नाम दर्ज कर दिया है, जिससे वादीगण दुरस्ती के माध्यम से घोषणा खातेदारी पाने के अधिकारी बनते हैं ? .....वादीगण

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व भी वादीगण का था। वादीगण ने अपने वादपत्र में यह उल्लेखित किया हैं कि वादग्रस्त भूमि संवत् 2004, 2005 मे स्व0 शिवचन्दजी मेहता ने अपनी अस्वस्थता के कारण काश्तकार दौलाराम पुत्र दीपा जाति जणवा नि. दांतीवाडा व धुलसिंह पुत्र जेतसिंह जाति राजपुत निवासी खीमेल को काश्त पर दी थी, परन्तु उसकी पुष्टि में वादी पक्ष द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है एवं न ही मौखिक साक्ष्य ही पेश किया है, जो इस तथ्य की पुष्टि कर पाये कि वास्ते में स्व0 शिवचन्दजी मेहता ने अपनी अस्वस्थता के कारण काश्तकार दौलाराम पुत्र दीपा जणवा निवासी दांतीवाडा व धुलसिंह पुत्र जेतसिंह जाति राजपुत को काश्त पर दी थी। इसके साथ ही वादी द्वारा उल्लेखित किया हैं कि सैटलमेंट अधिकारी के समक्ष उजर आपत्ति पेश करने के बावजुद सैटलमेंट ऑफिसर द्वारा इन काश्तकारो का नाम दर्ज कर दिया। यदि वादी द्वारा कोई आवेदन भू0 प्रबन्ध कार्यवाही के समय अधिकारियो को प्रस्तुत किया जाता तो इसकी प्रति वादी द्वारा अवश्य उपलब्ध करवा दी जाती, परन्तु वादी द्वारा इसके समर्थन में कोई दस्तावेज पेश करना अपने आप में इस तथ्य की पुष्टि करता हैं कि वादी द्वारा कोई आपत्ति /एतराज सैटलमेंट अधिकारी के समक्ष पेश नहीं किया गया। वादी के कपोल कल्पित इन कथनो की पुष्टि महाजनी लिखत प्रस्तुत करने से भी होती है, क्योंकि वादी उक्त लिखत के जरिये न्यायालय का ध्यान भटका कर अपना मकसद सिद्ध करने के लिये उक्त दस्तावेज पेश कर रहा है। विधि अनुसार प्रस्तुत उक्त दस्तावेज का भी कोई औचित्य नहीं है। वादग्रस्त भूमि प्रथम सैटलमेंट के पुर्व से एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधान लागू होने के पुर्व वक्त ठिकाना के समय से वादी के पुर्वजो के नाम 1/2 हिस्से की ही खातेदारी दर्ज होने के बावजुद भू0प्रबन्ध की त्रुटि बताते हुये दुरस्ती के माध्यम से घोषणा खातेदारी चा रहा है। जो पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये दस्तावेजी साक्ष्यो एवं मौखित साक्ष्यो से प्रमाणित नही होने से वादीगण दुरस्ती के माध्यम से संपुर्ण वादग्रस्त भूमि की घोषणा खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं रहते है। जिससे तनकी संख्या–02 भी वादीगण के विरूद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

3. आया वादीगण वास्तविक खातेदार होने से वादीगण के पुर्वज व पिता शिवचन्दजी मेहता की मृत्यु होने पर संवत् 2009 में काश्तकार दौलाराम व धुलसिंह के द्वारा वादीगण को लिखत लिख कर दिया था कि वादग्रस्त भूमि को एक साला काश्त के लिये दिया था, लेकिन रिकार्ड में हमारा नाम दर्ज हो गया, जिसमें हमारा कोई हक नहीं हैं

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

तथा 60/–रूपये बतौर मुआवजा हम लोगा ने प्राप्त कर लिया हैं ?... .....वादीगण

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व भी वादीगण का था। वादीगण ने अपने वादपत्र में जरूर उल्लेखित किया हैं कि वादीगण वास्तविक खातेदार होने से वादीगण के पुर्वज व पिता शिवचन्दजी मेहता की मृत्यु होने पर संवत् 2009 में काश्तकार दौलाराम व धुलसिंह के द्वारा वादीगण को लिखत लिख कर दिया था कि वादग्रस्त भूमि को एक साला काश्त के लिये दिया था, लेकिन रिकार्ड में हमारा नाम दर्ज हो गया, जिसमें हमारा कोई हक नहीं हैं तथा 60/–रूपये बतौर मुआवजा हम लोगा ने प्राप्त कर लिया हैं। परन्तु वादीगण द्वारा रेकर्ड में दर्ज काश्तकारो का नाम विलोपित करने के लिये सैटलमेंट अधिकारियो के समय आवेदन एवं उजर क्यों नहीं किया। मात्र कपोल कल्पित कथनो के आधार पर संवत् 2009 के बाद इतनी लम्बी अवधि पश्चात् दुरस्ती के जरिये खातेदारी की मांग करना, तथा इसका आधार रेकर्ड में 1/2 हिस्सा में दर्ज सह खातेदारान् की ओर से 60/–रूपये मुआवजा के प्राप्त करते हुये हक छोड देने का अन स्टाम्प्ड एवं अनरजिस्टर्ड लिखत को लिया जाना न्याय संगत नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त विधि शून्य दस्तावेज का भी कोई औचित्य नहीं है। तथा साथ ही प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यो के बयानो से भी इसकी पुष्टि नही हो पाई है। जिससे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में विधि के प्रावधानो के तहत उक्त लिखत का कोई मायना नहीं होने से उक्त लिखत के आधार पर वादीगण किसी प्रकार से घोषणा खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं रहते है। जिससे तनकी संख्या–03 भी वादीगण के विरूद्व एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

4. आया वादीगण के पक्ष में दौलाराम व धुलसिंह के द्वारा लिखत लिखने के बावजुद भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा वादीगण का नाम दर्ज नहीं करने तथा सैटलमेंट पश्चात् के रिकार्ड में दौलाराम व धूलसिंह का नाम दर्ज करने तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिशान का नाम दर्ज करने से वादीगण वादग्रस्त भूमि की पुश्तैनी कब्जे के आधार पर खातेदारी पाने के अधिकारी हैं ?.....वादीगण

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व भी वादीगण का था। वादी ने कपोल कल्पित तथ्य उल्लेखित करते हुये दौलाराम व धुलसिंह के द्वारा वादी के पुर्वज के पक्ष में लिखत लिखने के बावजुद भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा वादीगण का नाम दर्ज नहीं करना उल्लेखित करते हुये इन्द्राज दुरस्ती के माध्यम से वादग्रस्त भूमि की खातेदारी घोषणा चाही है, परन्तु वादपत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि में वादी पक्ष द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया, जो यह प्रमाणित करे कि भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा हस्तगत प्रकरण में त्रुटि की गई हो। जबकि उपलब्ध साक्ष्यो से प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि वक्त ठिकाना के समय एवं संवत् 2009 के पुर्व से वादी के पुर्वजो के नाम 1/2 हिस्सा की ही खातेदारी दर्ज रही है, तथा भू0प्रबन्ध पश्चात् भी पुर्व के इन्द्राज को ही दोहराया गया है। तथा 1/2 हिस्सा के सह खातेदारो द्वारा पंजिकृत विक्रय विलेखों के माध्यम से भूमि का बेचान कर देने से प्रतिवादी संख्या 2 से 07 का अधिकार अभिलेखों में नाम दर्ज हुआ, तथा मौके पर भी वर्ष 1995 व 1997 से काबिज काश्त है। यदि भू0प्रबन्ध के समय संपुर्ण भूमि पर वादी के पुर्वज काबिज होते तो बिना किसी दस्तावेज के मात्र आवेदन पत्र से ही संपुर्ण भूमि वादीगण के पुर्वजो के नाम भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा कर दी जाती। वादी द्वारा समस्त तथ्यो को छिपाते हुये गल्त तथ्य प्रकट करते हुये अब लिखत को आधार बनाते हुये 1/2 हिस्सा में दर्ज खातेदारो के नाम को विलोपित किये जाने की मांग की जा रही है। जिस लिखत का साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानो अनुसार साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होने से वादी पक्ष किसी प्रकार की घोषणा खातेदारी पाने के अधिकारी नहीं रहते

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

है। जिससे तनकी संख्या–04 भी वादीगण के विरूद्व एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

5. आया वादीगण का वाद हितबद्ध पक्षकारान् को पक्षकार नहीं बनाने से पक्षकारो के कुसंयाजन की वजह से वादीगण का वाद खारिज योग्य हैं ?.....प्रतिवादीगण

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादी पक्ष के आवेदन पर न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के खरीदकर्तागण, जो कि राजस्व रेकर्ड में सह खातेदार दर्ज है, पक्षकार बनाया जा चुका है। जिससे उक्त तनकी को विवेचित किया जाना आवश्यक नहीं रहता है।

6. आया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दिनांक 1510.1955 को लागू होने के समय भूमियों पर काबिज व्यक्तियों को धारा 15 व 19 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये, इसी के तहत दौलाराम व धुलसिहं को खातेदारी हक प्रदान किया गये ?.....प्रतिवादीगण

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा एवं प्रस्तुत अभिलेखी साक्ष्यो एवं मौखिक साक्ष्यो से यह प्रमाणित हैं कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 जब दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ, तत्समय मौके पर काबिज व्यक्तियो को खातेदारी अधिकार प्रदान करते हुये वादग्रस्त भूमि के अधिकार अभिलेखों में भी वादी के पुर्वजो को 1/2 हिस्सा का एवं शेष 1/2 हिस्सा में दौलाराम पुत्र दीपा जणवा चौधरी हिस्सा 1/4 एवं धुलसिंह पुत्र जेतसिंह जाति राजपुत हिस्सा 1/4 रेकर्ड में धारा 15 व 19 के तहत ही खातेदार दर्ज करते हुये इन्द्राज किया गया। जिस तथ्य की पुष्टि प्रस्तुत मौखित साक्ष्यो से भी बखूबी होती है। जिससे तनकी संख्या– 06 प्रतिवादीगण के पक्ष में तथा वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

7. आया दौलाराम के वारिशान द्वारा रेकर्ड में दर्ज 1/2 हिस्सा मेंसे 1/4 हिस्सा दिनांक 29.61995 को प्रतिवादी संख्या 05 से 07 एवं उनके भाई नेकाराम के वारिश प्रतिवादी संख्या 02 से 04 को बेचान करने से खरिदकत्र खातेदार हैं। इसी प्रकार धुलसिंह की मृत्यु के बाद वारिश जसकंवर द्वारा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 04 से 07 को दिनांक 12.02.1997 को बेचान करने से खातेदार है, तथा मौके पर खातेदारो का कब्जा काश्त होने से वाद वादीगण खारिज योग्य हैं?.....प्रतिवादीगण

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व भी प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावा के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य ई.एक्स.–ए–9ए पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 12.02.1997 एवं

प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य ई.एक्स.–ए–10ए पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 29.6.1995 एवं प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य गवाह डीडब्ल्यू 1 भीमाराम पुत्र नेकाराम जाति जणवा चौधरी निवासी फालनागांव, गवाह डीडब्ल्यू 2 जवानाराम पुत्र नेकाराम जाति जणवा चौधरी निवासी फालनागांव, गवाह डीडब्ल्यू 3 मांगीलाल पुत्र ओटाराम जाति जणवा चौधरी निवासी फालनागांव, गवाह डीडब्ल्यू 4 मालाराम पुत्र वनाराम जाति जणवा चौधरी निवासी फालनागांव द्वारा दिये बयानों से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। वर्तमान अधिकार अभिलेखों में दर्ज प्रतिवादी संख्या 02 लगाये 07 पंजीबद्ध विक्रय विलेख के आधार पर राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज हुये है। जिन रिकॉर्डेड खातेदारों को बिना पंजीबद्ध दस्तावेज निरस्त कराये रिकॉर्ड से विलोपित किये जाने की अनुमति विधि के प्रावधान नहीं देते है। जिससे वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं रहने से खारिज योग्य है। लिहाजा तनकी संख्या 07 प्रतिवादीगण के पक्ष में वादीगण के विरूद्व निर्णीत की जाती है।

8. अनुतोष ?

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी * पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	प्रकरण में कायम तनकी संख्या 01 से 07 वादीगण के विरूद्ध निर्णीत हो जाने से वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं रहते है।	
	:—निर्णय:—	
	प्रकरण में कायम तनकी संख्या 01 से 08 वादी के विरूद्ध निर्णीत हो चुकी है। अतः वादीगण द्वारा ग्राम खीमेल के गत खसरा नंबर 402, 403, 404, 422, 423, 425, 426, 427 कुल खसरा 08 कुल रकबा 120 बीघा 7 बिस्वा से बने हाल खसरा नंबर 1033, 1041, 962, 973, 974, 975, 1038, 1039, 1040, 1036, 1037 कुल खसरा 11 कुल रकबा 17.33 हैक्टर के संबंध में प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो।	
न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)	सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned with CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. महिपाल चंद मेहता पुत्र स्व. शिवचंद मेहता
2. स्व. शांतिचंद के कायम मुकाम
   2/1. राजकुमार मेहता पुत्र स्व. शांतिचंद मेहता
   2/2. अनिल मेहता पुत्र स्व. शांतिचंद मेहता
   2/3. नरेश कुमार मेहता पुत्र स्व. शांतिचंद मेहता
3. स्व. सूरजचंद के कामु
   3/1. ललित कुमार मेहता पुत्र स्व. सूरजचंद
   3/2. दिलीप कुमार मेहता पुत्र स्व. सूरजचंद
4. स्व. जसवंतचंद मेहता पुत्र स्व. शिवचंद मेहता के कामु
   4/1. तारा मेहता पत्नी स्व. जसवंतचंद मेहता
   4/2. सुरेन्द्र जे मेहता पुत्र स्व. जसवंतचंद मेहता
   4/3. रीटा मेहता पुत्री स्व. जसवंतचंद मेहता
   4/5. मोनाली मेहता पुत्री स्व. जसवंतचंद मेहता निवासीगण हाल चेन्नई तमिलनाडु
5. स्व. हनवंत चंद मेहता के कामु
   5/1. दीपक मेहता पुत्र स्व. हनवंत चंद मेहता
   5/2. संदीप मेहता पुत्र स्व. हनवंत चंद मेहता
6. उत्तमचंद मेहता पुत्र स्व. शिवचंद मेहता समस्त जातिगण जैन मेहता निवासीगण खीमेल तहसील बाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बाली
2. भोमाराम पुत्र नेकाराम
3. खेताराम पुत्र नेकाराम
4. छोगीबाई पत्नी नेकाराम
5. स्व. सोनाराम पुत्र वनाराम के कामु
   5/1. मीरादेवी पत्नी स्व. सोनाराम
   5/2. हरीश चौधरी पुत्र स्व. सोनाराम
   5/3. मोहन चौधरी पुत्र स्व. सोनाराम
   5/4. रमेश चौधरी पुत्र स्व. सोनाराम जातिगण चौधरी निवासीगण फालनागांव तहसील बाली
6. मालाराम पुत्र वनाजी
7. भीकाराम पुत्र वनाजी जातिगण चौधरी निवासीगण फालनागांव तहसील बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.) *

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2011/00015

वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादीगण द्वारा ग्राम खीमेल के गत खसरा नंबर 402, 403, 404, 422, 423, 425, 426, 427 कुल खसरा 08 कुल रकबा 120 बीघा 7 बिस्वा से बने हाल खसरा नंबर 1033, 1041, 962, 973, 974, 975, 1038, 1039, 1040, 1036, 1037 कुल खसरा 11 कुल रकबा 17.33 हैक्टर के संबंध में प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 1/7/025 को जारी किया गया।

मोहर

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner